आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
20.9.2022	**नामान्तरण अपील वाद सं0 17/2016–17** जौत्री देवी वगैरह प्रति इन्दावती देवी **आदेश** अभिलेख अन्तिम निस्तारण हेतु उपस्थापित। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से अंचल अधिकारी, नगर उंटारी द्वारा दिनांक 17.08.2006 को नामांतरण वाद सं0 209/2005–06 में पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र समय सीमा के बाद दायर किया गया है। जिसे के लिए धारा 5 के तहत विलम्ब को दूर करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपील आवेदन पत्र अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया है। एवं अंचल अधिकारी से मूल अभिलेख की मांग की गई। अपीलार्थी विगत कई तिथि से लगातार अनुपस्थित। प्रत्यर्थी ने अपने विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा उपस्थित होकर अपना प्रत्युतर दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी से मूल अभिलेख प्राप्त है। अपीलार्थीगण विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। फलतः प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना। **अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि:–** 01 प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी के द्वारा ग्राम रक्सा के खाता सं0 26 प्लॉट सं0 135, 43, 17, 09, 22 क्रमशः रकबा 06डी0, 46 डी0, 06डी0, 52डी0, 25डी0 कुल रकबा 1.35 एकड़ भूमि के विरूद्ध दायर किया गया है। यह भूमि बचनी देवी की थी जिन्होंने दान पत्र सं0 5883 दिनांक 21.11.1998 से जौत्री देवी को दान पत्र कर दखल कब्जा सौंप दी। इसी बीच प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थी पर मुकदमा कर दिया गया तथा किसी जाली महिला को खड़ा कर लगता है कि केवाला कराये तथा चुपके से नामांतरण करा लिये न तो इसमे विधिवत इस्तेहार का तामिल किया गया और न ही आम इस्तेहार में कोई केश न0 और तिथि अंकित है। तथा राजस्व कर्मचारी के द्वारा केवल प्रतिवेदन दिया गया है। अंचल निरीक्षक का कोई प्रतिवेदन नहीं है और न ही प्रत्यर्थी के द्वारा कोई नामांतरण का आवेदन दिया गया है। जॉच प्रतिवेदन पर अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। जब प्रत्यर्थी के द्वारा नामांतरण के लिए आवेदन नहीं दिया गया तो आवेदन का जिक्र अंचल अधिकारी दिनांक 25.07.2006 के आदेश फलक में कैसे आया यह सारी प्रक्रिया चुपके से अपनायी गई है एवं आम इस्तेहार, आदेश फलक, शुद्धि पत्र, जॉच प्रतिवेदन, सारी लिखावत राजस्व कर्मचारी की है। जिन्होंने अंचल अधिकारी नगर उंटारी से गलत नामांतरण कराया है। अंचल अधिकारी के द्वारा बिना जॉच किये हल्का कर्मचारी के प्रभाव में आकर गलत नामांतरण कर दिया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा नामांतरण अपील आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी नगर उंटारी के नामांतरण वाद सं0 209/2005–06 में दिनांक 17.08.2006 को पारित आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। लगातार	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि:– प्रश्नगत् भूमि स्व0 किशुन राम की भूमि थी। जिनकी पुत्रीगण के द्वारा प्रश्नगत् भूमि को संयुक्त रूप से निबंधित केवाला सं0 5817 दिनांक 31.07.2006 के द्वारा प्रत्यर्थी इन्द्रावती देवी पति मुन्द्रिका राम को विक्री कर दखल कब्जा सौंप दिये। अपीलार्थी के द्वारा स्व0 किशुन राम के एक पुत्री स्व0 बचनी कुंवर द्वारा अवैध रूप से बक्शीसनामा सह दान पत्र कराकर परेशान किया जा रहा है। जिसका विरोध सभी विक्रेतागण के द्वारा किया गया तथा अंचल अधिकारी नगर उंटारी के कार्यालय में आपति पत्र दाखिल किया गया। प्रत्यर्थी के द्वारा निबंधित केवाला से क्रय किये गए प्रश्नगत् भूमि का अंचल कार्यालय से नामांतरण होकर लगान रसीद कटता है तथा दखल कब्जा में है।

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा नामांतरण अपील आवेदन पत्र के प्रतिउत्तर को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी नगर उंटारी के नामांतरण वाद सं0 209/2005–06 में दिनांक 17.08.2006 को पारित आदेश को यथावत बहाल रखने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है :–

01 केवाला सं0 5817 की छायाप्रति .... 6 फर्द
02 लगान रसीद नामे इन्दावती देवी की छायाप्रति .... 1 फर्द
03 लगान रसीद नामे बचनी देवी की छायाप्रति .... 1 फर्द

अपीलार्थी विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित हैं। फलतः प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता को एकपक्षीय सुनने तथा अपीलार्थी के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र, प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल अपील आवेदन पत्र का प्रतिउत्तर, अभिलेख में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। अवलोकनोंपरान्त पाया कि अपीलार्थी ने नामांतरण अपील आवेदन पत्र में केवल उक्त नामांतरण वाद के विरूद्ध अपील दायर किया गया है अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत् भूमि पर अपने दावे के समर्थन में कोई भी राजस्व साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कि उनका दावा प्रमाणित हो सकें। प्रश्नगत् भूमि वचनी देवी पति शिव प्रसाद राम के नाम से मांगपंजी II के पृष्ठ सं0 56 भाग सं0 1 पर कायम था। प्रत्यर्थी ने विक्रेता मसो0 वचनी कुंवर पति स्व0 शिव प्रसाद राम ग्राम+थाना नगर उंटारी वो मसो0 देवमानी कुंवर पति स्व0 झुलन राम ग्राम कटहर कला थाना धुरकी तथा भागमानी देवी पति जदुनी राम ग्राम चितविश्राम थाना नगर उंटारी से केवाला सं0 5817 दिनांक 31.07.2006 के द्वारा प्रश्नगत भूमि क्रय की है। जिसका नामांतरण वाद सं0 209/2005–06 दाखिल खारिज होकर प्रत्यर्थी/क्रेता इन्द्रावती देवी के नाम से नामांतरण होकर मांगपंजी 2 के पृष्ट सं0 156 भाग सं0 2 पर संधारित है एवं लगान रसीद निर्गत है।

लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	केवाला निष्पादन की तिथि 31.07.2006 है नामांतरण वाद अभिलेख में आवेदन प्राप्त की तिथि 25.07.2006 अंकित है। नामांतरण के पश्चात् क्रेता के नाम से निर्गत लगान रसीद पर निर्गत तिथि 05.07.2008 अंकित है। यदि आवेदन देने कि तिथि 25.07.2006 हो तो नामांतरण का वर्ष 2005–06 के स्थान पर वर्ष 2006–07 होना चाहिए था। केवल शुद्धि पत्र में नामांतरण वाद सं0 209/2006–07 अंकित है। जो केवाला निष्पादन तिथि के पूर्व में ही नामांतरण हेतु आवेदन पत्र दाखिल होना एवं निष्पादित अंकित वर्ष विधिसम्मत नहीं है। जो अपने आप में संदेहात्मक है। अतः उक्त तथ्य के आलोक में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के नामांतरण वाद सं0 209/2005–06 में दिनांक 17.08.2006 को पारित आदेश को अपास्त किया जाता है। इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, नगर उंटारी को अनुपालन हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। 20/12 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर। 20/12 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर।	

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.14 13:24:31 +05:30
Location: 192.168.1.41

Scanned with CamScanner